98

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म 0 प्र 0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

श्री आदित्य सिंह एड. द्वारा पेश 1.8.14

क्लर्क आफ कोर्ट 1.8.14
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

R. 2688-III/14

427
1.8.14

गंगा प्रसाद कुशवाहा तनय श्री तुलसी प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम – निपनियां तहसील हुजूर जिला रीवा म 0 प्र 0 ---------------निगरानीकर्ता/आवे 0

बनाम

1:– श्री मती लीलावती कुशवाहा पति स्व 0 श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा

2:– गीता देवी कुशवाहा पुत्री स्व 0 श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा

3:– नीतादेवी कुशवाहा पुत्री स्व 0 श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा

4:– उषा देवी कुशवाहा पुत्री स्व 0 श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा

5:– आशादेवी कुशवाहा पुत्री स्व 0 श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा

6:– कबितादेवी कुशवाहा पुत्री स्व 0 श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा

सभी निवासी ग्राम निपनियां तहसील – हुजूर जिला रीवा म 0 प्र 0

7:– शासन म 0 प्र 0 ----------- गैरनिगरानीकर्तागण/अना0गण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्री मान तहसील दार, तहसील – हुजूर जिला रीवा म0 प्र 0 द्वारा नक्शा तरमीम पुष्टि प्रकरण कमांक 3/अ12/013/2014 मे पारित आदेश दिनांक 21/ 10 /013

23.8.14

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू 0 रा0 सं 0 सन 1959 ई 0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1:– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नक्शा तरमीम पुष्टि आदेश दिनांक 21/ 10/013 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

... जाना प्रतीत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 2688–तीन/2014 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09/3/18	पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्र0 क0 3 अ 12/12–14 में पारित आदेश दि. 21–10–13 विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21–10–2013 से ग्राम नियनिया की भूमि सर्वे कमांक 1269/3 का नक्शा तरमीम किया है, तहसीलदार का यह आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत है । इस धारा के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश अपील योग्य है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	